राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 51 / 2011

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज0 .....वादी

बनाम

1. राजेन्द्रकोर पत्नी सत्यनारायण जाति जाट निवासी चरखी दादरी, हरि0
2. अमरसिंह पुत्र रामकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
3. राजबीर सिंह पुत्र रामकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
4. सदाकंवर रामकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
5. संतोष कंवर पुत्री रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
6. सरोज कंवर पुत्री रामकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
7. चीमाकंवर पुत्री रामकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
8. मायाकंवर पुत्री रामकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
9. किरण कंवर पुत्री रामकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
10. राजकंवर पुत्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
11. इन्द्रकंवर पुत्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
12. प्रेमकंवर पत्नी सहदेव सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
13. रमेश सिंह पुत्र सहदेव सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
14. नरेशसिंह पुत्र सहदेव सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
15. पिंकी कंवर पुत्री सहदेव सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
16. मिथलेश कंवर पुत्री सहदेव सिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया
17. इन्द्राज पुत्र बनवारी लाल निवासी कांकरिया
18. इन्द्राज पुत्र मूलचंद निवासी कांकरिया
19. ताराचन्द पुत्र बालूराम निवासी कांकरिया
20. प्रदीप कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी कांकरिया
21. प्रभातीलाल पुत्र मालाराम जाति राजपूत निवासी कांकरिया
22. बनवारी पुत्र मालाराम जाति राजपूत निवासी कांकरिया
23. महिपाल पुत्र मालाराम जाति राजपूत निवासी कांकरिया
24. मांगीराम पुत्र गीगाराम जाति राजपूत निवासी कांकरिया
25. रूड़मल पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी कांकरिया
26. शीशराम पुत्र मालाराम जाति राजपूत निवासी कांकरिया

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक 26–08–2020

यह वाद अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (4) के अन्तर्गत इसे वाद पत्र माना गया और तद्नुसार कार्यवाही की गई। तहसीलदार, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ने निवेदन किया कि ग्राम कांकरिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1673 रकबा 3.00 है. बंजडऋ चारम व खसरा नंबर 1684 रकबा 5.46 बरानी चारम किता 2 रकबा 8.46 है. राजेन्द्रकोर पत्नी सज्यनारायण जाति जाट निवासी चरखी दादरी हरियाणा हि. 3.32 है., अमरसिंह, राजवीरसिंह पि. रामकुवारसिंह हि. 2/8, सदाकंवर, संतोषकंवर, सरोजकंवर, चीमाकंवर, मायाकंवर, किरणकंवर पुत्रिया रामकुवार सिंह हि.अ.हि. 6/8 कौम राजपूत दर हि. 16 बीघा 6 बिस्वा, राजेन्द्रकोर पत्नी सत्यनारायण जाति जाट निवासी चरखी दादरी जिला भिवानी हरि० हि. 1/2, राजकंवर, इन्द्रकंवर पुत्रियां रघुनाथ सिंह, प्रेमकंवर पत्नी स्व. सहदेव सिंह, रमेशसिंह, नरेश सिंह पुत्र सहदेवसिंह पींकी कंवर, मिथलेशकंवर पुत्रियां सहदेवसिंह हि. 1/2 दर हि. 8 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी में दर्ज है। पटवारी हल्का कांकरिया की रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 1673, 1684 किता 2 रकबा 8.46 है. भूमि में खातेदारान द्वारा बिना किसी स्वीकृति आदि के कृषि करने के बजाय अवैध रूप से बजरी खनन किया गया है। चूंकि राज्य सरकार ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। अतः अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जाये।

खातेदारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की सम्यक् रूप से तामील करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि पटवारी ने रिपोर्ट गलत दी है उक्त भूमि नदी के सहारे पड़ती है जिस वजह से बजरी माफिया रात्रि को लठ के बल पर बजरी ले जाते है। इस भूमि के कोई भी खातेदार बजरी नहीं निकाल रहे, ना ही उन्होंने किसी को बजरी खनन की सहमति दी है। प्रथम तो इस भूमि बजरी का दोहन नहीं किया गया है व जहां से बजरी निकाली गई है वह भी बजरी माफिया जबरन से बजरी ले जाते हैं। किसी भी खातेदार ने अपनी भूमि में से बजरी का दोहन नहीं किया ना ही पटवारी ने किसी को दोहन करते देखा है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार, खेतड़ी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता सं. 103 तथा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2010, पटवारी हल्का कांकरिया की रिपोर्ट दिनांक 4.03.2020 पेश की जिसके अनुसार ग्राम कांकरिया स्थित भूमि ख.नं. 1673, 1684 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर मौके पर खनन किया हुआ है। वर्तमान में उक्त खसरा नंबर 1673, 1684 उबड़–खाबड़ व लगभग 15–20 फीट गहरे खड्डे बने हुए है जिसको कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पटवारी हल्का कांकरिया की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2010 व फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.03.2020 की रिपोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि में अवैध रूप से बजरी खनन किया गया है। खातेदारान द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। खातेदारान द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। विवादित भूमि ख.नं. 1673, 1684 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

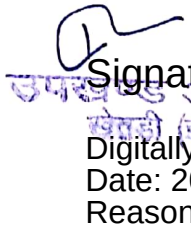

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpal Jat
Date: 2020.09.01 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः वाद वादी (तहसीलदार, खेतड़ी) स्वीकार किया जाकर ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 1673 रकबा 3.00 हैक्टेयर, ख.नं. 1684 रकबा 5.46 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.46 हैक्टेयर भूमि को राजगामी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नंबर से खातेदारान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें बेदखल करें व उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय दर्ज करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner